न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–टि.ए.36/2019
पंजीयन दिनांक 18.12.2019

(1). शीला देवी पत्नि स्वर्गीय आनन्दकुमार जाति खटीक निवासी नारेला तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(2). गरीमा पुत्री स्वर्गीय आनन्दकुमार जाति खटीक निवासी नारेला तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(3). संध्या पुत्री स्वर्गीय आनन्दकुमार जाति खटीक अवयस्क जरिये संरक्षक माता शीला देवी पत्नि स्वर्गीय आनन्दकुमार जाति खटीक निवासी नारेला तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलान्टगण

बनाम

(1). जमनालाल पिता भूरालाल जाति खटीक निवासी नारेला तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(2). किशनलाल पिता जमनालाल जाति खटीक निवासी नारेला तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(3). भारतभूषण पिता जमनालाल जाति खटीक निवासी नारेला तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(4). सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). छोगालाल जाट–अधिवक्ता अपीलांट
(2). बसंतीलाल पोखरना–अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 3
(3). पूरणमल स्वर्णकार– राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 4

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0काश्त0अधिनियम 1955
अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 1/2017 निर्णय दिनांक 05.12.2019

निर्णय **दिनांक 23.06.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टगण प्रार्थीगण द्वारा मूल वादपत्र बाबत घोषणात्मक डिकी, बंटवाडा, स्थाई निशेधाज्ञा के साथ एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत रेस्पोडेन्टगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत इस आशय का पेश किया कि अपीलांटगण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वादपत्र ठोस तथ्यों पर आधारित होकर निश्चित ही डिकी होगा मगर सुनवाई होकर निर्णय में समय लगेगा । साथ ही निवेदन किया कि अपीलांटगण प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 एवं रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 एक ही मूल पुरूष स्वर्गीय भूरालाल जी के वारिसान है तथा अपीलांटगण प्रार्थीगण एवं रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 का पारिवारिक सजरा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किया जिसके अनुसार मूल पुरूष भूरालाल के पुत्र जमनालाल के तीन वारिस आनन्दकुमार(मृतक पुत्र), किशनलाल(पुत्र) व भारतभूषण(पुत्र) के रूप में दर्शाये गए तथा आनन्दकुमार(मृतक) के कुल तीन वारिस शीलादेवी(पत्नी),गरीमा व संध्या(पुत्रीयां) के रूप में दर्शाये गये। अपीलांट प्रार्थी संख्या 1 स्वर्गीय आनन्दकुमार की पत्नी एंव अपीलांटगण प्रार्थीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

संख्या 2 व 3 स्वर्गीय आनन्दकुमार की पुत्रियां है। स्वर्गीय आनन्दकुमार रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 का जायंदा पुत्र एवं रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण संख्या 2 व 3 रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 के पुत्र है। यह कि अपीलांट प्रार्थी संख्या 1 के पति एवं अपीलांटगण प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के पिता आनन्दकुमार एवं रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य होकर रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण संख्या 2 व 3 की नाबालिग अवस्था में अपीलांटगण प्रार्थीगण के पिता एवं पति आनन्दकुमार एवं रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 ने अपने संयुक्त परिवार की आय से मौजा गोपालपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ की खाता संख्या 21 सम्वत 2069–72 की कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 के नाम पर कय की जो कि खाता संख्या 21 की आराजी संख्या 363, 364, 365, 366, 367, 447 रकबा कमशः 0.15 हैक्टेयर, 0.03 हैक्टेयर, 0.83 हैक्टेयर, 0.06 हैक्टेयर,0.60 हैक्टेयर, 0.21हैक्टेयर, दर्ज रेकॉर्ड है।

उक्त विवादित आराजियात अपीलांटगण प्रार्थीगण के पिता एंव पति आनन्दकुमार व रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 ने मिलकर रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण संख्या 2 व 3 की नाबालिग अवस्था में कय कर कब्जा प्राप्त किया, जो रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज रेकॉर्ड की गयी व रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 ने उक्त आराजीयात का अपने तीनो पुत्रों अपीलांटगण प्रार्थीगण के पिता एंव पति आनन्दकुमार एवं रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण संख्या 2 व 3 को संयुक्त रूप से कब्जा दे दिया। तभी से अपीलांटगण प्रार्थीगण के पिता एवं पति आनन्दकुमार व रेस्पोडेन्टगण विपक्षी संख्या 2 व 3 मिलकर रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 की सेवा चाकरी करते हुए उक्त कयशुदा आराजियात पर संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अपीलांटगण प्रार्थीगण के पिता एवं पति स्वर्गीय आनन्दकुमार का देहावसान हो चुका है व अपीलांटगण प्रार्थीगण स्वर्गीय आनन्दकुमार के वैध वारिसान है परन्तु रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 ने मिलकर अपीलांटगण प्रार्थीगण को अपने हक व अधिकारों से वंचित करने की नीयत से व उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 के अकेले के नाम पर दर्ज रकॉर्ड होने से व रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 के वृद्ध व्यक्ति होने से रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण संख्या 2 व 3 ने रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 को बहला फुसलाकर उक्त आराजियात का तथाकथित बक्षिशनामा दिनांक 24.10.2016 को निष्पादित करवाकर पंजीकृत करवा दिया जो अपीलांटगण प्रार्थीगण के हक व अधिकारों के मुकाबले में निष्प्रभावी होकर अपीलांटगण प्रार्थीगण विवादित आराजियात में 1/3 हक व हिस्से की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण उक्त तथाकथित बक्षिशनामें के आधार पर उक्त आराजीयात को अपने नाम दर्ज कराकर अपीलांटगण प्रार्थीगण को विवादित आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा है, इस कारण अपीलांटगण विपक्षीगण द्वारा न्याय, साम्य, सुविधा का संतुलन स्वयं के पक्ष में होना बताया जाकर रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा आवश्यक रूप जारी करवाया जाने की प्रार्थना की।

अपीलांटगण प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 पर एकतरफा सुनवाई करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02.01.2017 को रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। तत्पश्चात दिनांक 06.02.2017 को रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांटगण प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र असत्य एवं निराधार होने से अवश्य ही निरस्त होगा, जिसके निस्तारण में किसी प्रकार का समय लगने की संभावना नहीं है। अपीलांटगण प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत पारिवारिक सजरा असत्य होने से अस्वीकार है, जिसमें जमनालाल की सगी पुत्री मंजू पत्नि चांदमल खटीक को नहीं दर्शाया गया है और साथ ही प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 ने स्वयं की आय से कयकर स्वअर्जित होकर कब्जे व खातेदारी में दर्ज रेकॉर्ड थी जिसे रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने पूर्ण वैधानिक अधिकार से विधिवत रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 2 व 3 को पंजीकृत बक्षीशनामा दिनांक 24.10.

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

2016 के द्वारा बक्षीश कर कब्जे काश्त हेतु सुपुर्द कर दी। तभी से रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण संख्या 2 व 3 का उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर पूर्ण वैधानिक अधिकारों के साथ कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात पर अपीलांटगण प्रार्थीगण का किसी भांती कोई वैधानिक अधिकार हक या हिस्सा आधिपत्य एवं मौके पर कब्जा व उपयोग उपभोग नहीं रहा है। साथ ही यह तथ्य भी अस्वीकार है कि अपीलांटगण प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के पिता व अपीलांट प्रार्थी सख्या 1 के पति आनंदकुमार व रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 का एक ही संयुक्त परिवार चला आ रहा हो अथवा अपीलांटगण प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के पिता व अपीलांट प्रार्थी सख्या 1 के पति आनंदकुमार व रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 ने अपने संयुक्त परिवार की आय से रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 के नाम पर उक्त वर्णित आराजीयात कय कि हो। वास्तविक रूप से रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 सेवानिवृत राजकीय अध्यापक है जिसने अपनी नौकरी से स्वयं की आय से उक्त वर्णित आराजियात जिसके मौजा गोपालपुरा पटवार हल्का नारेला के गत भू–प्रबंध के पूर्व आराजी संख्या 206, 206/1 व 206/2 को गेंदी बाई बेवा रूपा धोबी निवासी नारेला तत्समय के खातेदार से 2/3 हिस्सा एंव उक्त वर्णित आराजीयात का शेष 1/3 हिस्सा उंकार पिता किशना धोबी निवासी आयड उदयपुर से संयुक्त रूप से जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 12.04.1984 के द्वारा खरीदकर कब्जा प्राप्त किया। तद्नन्तर उक्त वर्णित कृषि आराजीयात के नवीन आराजी संख्या मौजा गोपालपुरा के आराजी संख्या 363, 364, 365, 366, 367, 447 कुल किता 6 कुल रकबा 1.88 हैक्टेयर बने। तत्समय से उक्त वर्णित आराजीयात रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 जमनालाल पिता भूरालाल खटीक निवासी नारेला के नाम पर खातेदारी अधिकार से दर्ज रेकॉर्ड होकर चली आ रही थी जिसे रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 2 व 3 को बक्षीश कर कब्जे में दे दी तभी से रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 2 व 3 उक्त वर्णित आराजीयात पर अपने वैध अधिकार से काबिज होकर काश्त करते हुए उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात कय करने में रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 का आनंदकुमार ने किसी भी प्रकार से कोई आर्थिक सहयोग नहीं किया। आनंदकुमार का 35 वर्षो से रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 से 3 के साथ कोई संबंध नहीं रहे है ओर न ही रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 से 3 के साथ संयुक्त परिवार में रहा है। आनंदकुमार अपने परिवार अपीलांटगण प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के साथ हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में इंजिनियर के पद पर कार्यरत होने के पश्चात फौत होने तक रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 से 3 से अलग चित्तौड़गढ़ में ही निवासरत रहा है। आनंदकुमार की मृत्यु के पश्चात अपीलांटगण प्रार्थीगण भी चित्तौड़गढ़ में ही रहते चले आ रहे है। आनंदकुमार और अपीलांटगण प्रार्थीगण कभी भी विपक्षी संख्या 1 के निवास स्थान नारेला में साथ नहीं रहे है, और न ही आनंदकुमार एवं रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 का परिवार संयुक्त रहा है। साथ ही आनंदकमार एवं अपीलांटगण प्रार्थीगण का उक्त वर्णित विवादित आराजीयात में आज तक किसी प्रकार का कोई कब्जा का त, उपयोग उपभोग,हक हिस्सा या अधिकार एवं आधिपत्य, वैधानिक अधिकार नहीं रहा है। अतः अपीलांटगण प्रार्थीगण द्वारा घोषणात्मक डिकी हेतु जो वाद प्रस्तुत किया है वह उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांटगण प्रार्थीगण उक्त वर्णित विवादित आराजीयात का कोई बंटवाड़ा कराने के अधिकारी नहीं है। अपीलांटगण प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर बहस सुनी। दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण ने उक्त वर्णित विवादित आराजीयात के रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 द्वारा कयशुदा होकर स्वअर्जित होने, आनंदकुमार एंव अपीलांटगण प्रार्थीगण के रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के साथ संयुक्त परिवार में नहीं होने, आनंदकुमार एंव अपीलांटगण प्रार्थीगण का उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर कभी कब्जा काश्त, हक अधिकार, उपयोग उपभोग

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

नहीं होने, व उक्त वर्णित विवादित आराजीयात का रेस्पोडेन्ट विपक्षी सख्या 1 को अभिलिखित खातेदार होने आदि तथ्यों को आधार बताते हुए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के पक्ष में होना बताते हुए अपीलांटगण प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को खारिज किये जाने की इस्तदुआ की।

इसके विपरीत अधिवक्ता अपीलांटगण प्रार्थीगण नें अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत उक्त समस्त मौखिक तथ्यों का खण्डन करते हुए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांटगण प्रार्थीगण के पक्ष में होना बताते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के पक्ष में होना मानते हुए अपीलांटगण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को साबित नहीं होना बताकर, सारहीन होने से निरस्त करते हुए रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 02.01.2017 को अपास्त करने का निर्णय व आदेश पारित किया गया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.12.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण वादीगण ने यह अपील दिनांक 16.12.2019 को अंदर मियांद प्रस्तुत की । अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए।

प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांटगण नें अपील में यह तथ्य अंकित किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव आदेश न्याय नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में अपीलांटगण प्रार्थीगण की ओर से मूल वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा गौपालपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ की खाता संख्या 21 में दर्ज 363, 364, 365, 366, 367, 447 कुल किता–6 कुल रकबा 1.88 हैक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 एवं आनन्दकुमार ने मिलकर पैतृक आय से क्रय की है, फिर भी उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज होने से रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजीयात का रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 2 व 3 को बक्षिश नामा निष्पादित करवा दिया जो अपीलांटगण के हक व अधिकारों के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी है। अपीलांटगण प्रार्थीगण अपने पति व पिता आनन्दकुमार के 1/3 हक व हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। जिससे अपीलांटगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य था, फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी तथ्य अंकित किये कि रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात गेन्दीबाई पत्नि रूपा धोबी निवासी नारेला के साबिक आराजी नम्बर 205,206/1,206/2 से दर्ज रेकॉर्ड थी, जिसके उक्त नवीन आराजी नम्बर कायम किये गये है, रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 ने उक्त आराजीयात को पंजीकृत बहनामा दिनांक 12.04.1984 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, जिससे उक्त आराजीयात पक्षकारान की पैतृक नहीं होकर रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति है जिसमें अपीलांटगण प्रार्थीगण का किसी प्रकार का हक व हिस्सा नहीं बनता है, व अपीलांटगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांटगण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है, व

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अस्थायी निशेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्टगण को होने की सम्भावना है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांटगण प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया गया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अलावा यह भी तथ्य अंकित किये कि विवादित आराजीयात संयुक्त परिवार में रहते हुए जमनालाल के नाम पर कय की गयी है, जिससे उक्त आराजीयात पैतृक सम्पति बनती है, व पैतृक सम्पति में आनंदकुमार का भी हक व हिस्सा निहित है, व अपीलांटगण प्रार्थीगण आनंदकुमार के वारिसान है जिनका भी हक व हिस्सा निहित है, फिर भी विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांटगण प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांटगण प्रार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.12.2019 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांटगण प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बाबत अस्थायी निशेधाज्ञा स्वीकार फरमाये जाने का आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अपीलांटगण प्रार्थीगण मृतक आनंदकुमार के वारिसान है । विवादित आराजीयात को आनंदकुमार एवं रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 ने संयुक्त परिवार में साथ रहकर संयुक्त पैतृक आय से रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 के नाम से कय किया था, जिससे उक्त कृषि आराजीयात पैतृक सम्पति बनती है व पैतृक सम्पति में आनंदकुमार का भी हक व हिस्सा निहित है ,परन्तु रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण रेस्पोडेन्ट विपक्षी सख्या 1 द्वारा दिनांक 24.10.2016 को उक्त पैतृक आराजीयात को रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 2 व 3 को बक्षीश कर दिया जबकि अपीलांटगण प्रार्थीगण का भी विवादित बक्षीशशुदा आराजीयात में 1/3 हिस्सा निहित हाने से निश्पादित बक्षीशनामा अपीलांटगण प्रार्थीगण के हक अधिकारों के सामने निष्प्रभावी होने से शून्य है, साथ ही अपीलांटगण प्रार्थीगण अपने पति व पिता आनंदकुमार के 1/3 हक व हिस्से के अनुसार विवादित आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला ,सुविधा का संतुलन, व अपूरणीय क्षति अपीलांटगण प्रार्थीगण के पक्ष में होना पाया जाता है। अन्त में अपील अपीलांटगण प्रार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.12.2019 अवैधानिक होने से निरस्त फरमाया जाकर अपीलांटगण प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बाबत अस्थायी निशेधाज्ञा स्वीकार फरमाये जाने का आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण ने अधिवक्ता अपीलांटगण वादीगण के समस्त तथ्यों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जमनालाल सेवानिवृत राजकीय अध्यापक है, जिसने अपनी नौकरी से अर्जित आय से उक्त विवादित आराजीयात को कय किया है अतः विवादित आराजीयात आनंदकुमार की पैतृक नहीं होकर जमनालाल द्वारा कयशुदा थी, जिसे जमनालाल द्वारा दिनांक 16.04.1984 को अर्थात 38 वर्ष पूर्व विवादित आराजीयात का 2/3 हिस्सा पंजीकृत विकृय पत्र द्वारा कय किया गया। तत्पश्चात विवादित आराजीयात का शेष 1/3 हिस्सा दिनांक 04.07.1995 को अर्थात 27 वर्ष पूर्व पंजीकृत विकय पत्र से जमनालाल द्वारा उंकारलाल से कय किया गया। इस प्रकार विवादित आराजीयात जमनालाल की कयशुदा स्वअर्जित सम्पति है , जिसको बक्षीश करने का पूर्ण अधिकार जमनालाल को होने के कारण रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 जमनालाल द्वारा रेस्पोडेन्ट विपक्षी सख्या 2 व 3 को उक्त कयशुदा स्वअर्जित कृषि आराजीयात को दिनांक 24.10.2016 को बक्षीश कर कब्जा काश्त हेतु सुपुर्द कर दिया तब से रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 2 व 3 उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर काबिज

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इस प्रकार उक्त समस्त तथ्य जो कि संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होकर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के पक्ष में होना बताकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 05.12.2019 को विधी सम्मत बताते हुए अपीलांटगण प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में माना है कि विवादित कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वअर्जित आय से कय कर कब्जा प्राप्त किया व उक्त आराजीयात पंजीकृत बहनामे से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पर कब्जे काश्त व खातेदारी में दर्ज रेकॉर्ड है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जरिये पंजीकृत बक्षीशनामा दिनांक 24.10.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को हस्तांतरित की है। अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.01.2017 को वादपत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2017 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जिसमें आगामी तारीख पेशी 06.02.2017 नियत की गई। दिनांक 06.02.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया व जवाब के साथ बक्षीशनामा विकयपत्र नकल जमाबंदी मौजा गोपालपुरा नकल जमाबंदी सम्वत 2031 से 2034 नकल मिलान खसरा प्रस्तुत किया जिसमें उक्त कृषि आराजीयात अपीलांट के पति एवं पिता आनंदकुमार के रेस्पोडेन्ट के परिवार से अलग रहते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कय की व अपनी खातेदारी में दर्ज करायी है व अपने खातेदारी में रहते हुए जरिये पंजीकृत बक्षीश से उक्त कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम बक्षीश की है जिस पर विपक्षी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अपीलांटगण के पति व पिता आनंदकुमार के अलग रहते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा कय की गई है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में पंजीकृत बक्षीशनामें से हस्तांतरित की गई है जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्ण अधिकार प्राप्त है व अपीलांटगण प्रार्थीगण का उक्त कृषि आराजीयात मे किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं होने से विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांटगण प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र निरस्त किया है जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील संहवनीय नहीं होने से निरस्त योग्य है ।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ के प्रकरण संख्या 1/2017 प्रार्थनापत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.12.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरि सिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज.)